रजिस्ट्री सं० डी—221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13 1965/ वैशाख 23, 1887

No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 1965/VAISAKHA 23, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May 1965

No. 37/1/XI/65/T.—The following Order by the President dated the 11th May, 1965, is published for general information:

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

S. RADHAKRISHNAN
President."

May 11, 1965.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1965

संख्या 37/1/XI/65/सी.—राष्ट्रपति महोदय का दिनांक 11 मई, 1965 का निम्न-लिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा का सत्रावसान करता हूं ।

11 मई, 1965. एस० राधाकृष्णन
राष्ट्रपति ।"

श्यामलाल शकधर,
सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965